झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
अपराधिक विविध याचिका संख्या 3878/2023

धन सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बालीगुमा, बागान क्षेत्र, बहरी दरी, डाकघर + थाना - मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. **झारखंड राज्य**
2. मनोज कुमार सिंह पुत्र स्व. सकल सिंह उर्फ राम सकल सिंह निवासी संकोसाई रोड नं. 5, जनता पथ, डाकघर - मानगो, थाना - एमजीएम (ओलीडीह), जिला- पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)

....विपक्षी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रोहित अग्रवाल, अधिवक्ता राज्य की ओर से
: श्री राजेश कुमार, एडिशनल पी.पी. ओ.पी.
संख्या 2 के लिए : श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

<u>न्यायालय द्वारा</u> :- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के साथ-साथ मैंगो (ओलीडीह) पुलिस थाने का मामला संख्या 292/2012 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो जीआर संख्या 1667/2012 के अनुरूप है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 379, 504, 34

के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है, जो अब जमशेदपुर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विपरीत पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतरिम आवेदन संख्या 11280/2023 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता और विपरीत पक्ष संख्या 2-सूचनाकर्ता के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पक्षों के पारिवारिक मित्रों और सामान्य शुभचिंतकों के हस्तक्षेप से, पक्षों ने अदालत के बाहर अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और याचिकाकर्ता और सूचनाकर्ता घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने अदालत के बाहर अपने सभी विवादों को सुलझा लिया है और समझौते को देखते हुए, सूचनाकर्ता मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ मानगो (ओलीडीह) थाना केस संख्या 292/2012 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो जी.आर. संख्या 1667/2012 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के साथ-साथ मानगो (ओलीडीह) पुलिस थाना मामला संख्या 292/2012, जो जी.आर. संख्या 1667/2012 से संबंधित है, से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीम सिंह भाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किए गए मामले में, पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार माना गया है: -

"11. धारा 482 में एक प्रमुख प्रावधान है। यह कानून उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय के रूप में ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है जो (i) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हैं; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। **ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी303: (2012) 4एससीसी (सिविल) 1188: (2013) 1एससीसी (क्रि) 160: (2012) 2 एससीसी (एलएंडएस) 988]** में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफआईआर या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय को निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए: (एससीसी पृ. 342-43, पैरा 61)

> "61. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध उचित रूप से निरस्त नहीं किए जा सकते, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक

कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और प्रमुख रूप से सिविल फ्लेवर होता है, निरस्त करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या ऐसे ही लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत दूर और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता और समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय के हित के लिए अनुचित या विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और समझौता होने के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। (जोर दिया गया)"

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता होने के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूर और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक न्याय होगा।

8. इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ मैंगो (ओलीडीह) थाना से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही। जी.आर. संख्या 1667/2012 से संबंधित मामला संख्या 292/2012, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, को रद्द कर दिया जाए।

9. तदनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मानगो (ओलीडीह) थाना केस संख्या 292/2012 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो जी.आर. संख्या 1667/2012 के अनुरूप है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ता के विरुद्ध निरस्त तथा अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, यह सी.आर.एम.पी. स्वीकृत है।

11. तत्काल सी.आर.एम.पी., आई.ए. संख्या 11280/2023 के निस्तारण के मद्देनजर तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 17 जनवरी, 2024
ए.एफ.आर./अनिमेश

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।